

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021

जयपुर, दिनांक : 27/07/2023

आदेश

विषय: राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

सन्दर्भ: वित्त (नियम) विभाग की अशा.टीप क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 21.02.2023 एवं आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023), आदेश दिनांक 17-6-2023 तथा 6-7-2023।

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 31-8-2023 तक बढ़ाई जाती है। संदर्भित आदेशों के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(रोहित गुप्ता)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमांक: एफ 4/(1-आर)/एसकेराकृवि/सी/2023/ 536

दिनांक: 31.7.2023

2-8-2023

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक, /क्षे. निदेशक/सह. निदेशक/प्रभारी अधिकारी, स्वाकेराकृवि, ब
2. कुलसचिव, स्वाकेराकृवि, बीकानेर।
3. प्रभारी, सिमका को वि.वि. वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित हैं।
4. कोषाधिकारी, स्वाकेराकृवि बीकानेर।
5. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, स्वाकेराकृवि, बीकानेर।
6. अनुभाग अधिकारी, पेंशन शाखा, स्वाकेराकृवि, बीकानेर।

(बनवारी लाल सदा)  
वित्त नियंत्रक